प्रेस नोट थाना जलालाबाद
जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक– 12.08.2025

थाना जलालाबाद पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वाछिंत 01 अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा कारतूस 315 सहित किया गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व चिन्हित किये गये अपराधियों/ वांछित/ वारण्टी व रोकथाम मादक पदार्थ/अवैध शराब शस्त्र, बिक्री- निर्माण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी जलालाबाद के कुशल पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक जलालाबाद के नेतृत्व में थाना जलालाबाद पुलिस को मिली बडी कामयाबी।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनाँक 10.08.2025 को वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना जलालाबाद पर मु0अ0स0 411/25 धारा 109(1)/191(2)/191(3) बीएनएस बाबत अभियुक्तगण 1.रामगोविन्द पुत्र छविनाथ 2.चन्द्रपाल पुत्र छविनाथ 3.सत्यवीर पुत्र छविनाथ 4.ललित उर्फ गुड्डु पुत्र चन्द्रपाल 5.अंकित पुत्र रामखिलावन निवासीगण ग्राम रौलीबौरी, थाना जलालाबाद, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा वादी को उसके घर के सामने गली में टहलते समय जान से मारने की नियत से पीछे से गोली मार देने के सम्बन्ध में पंजीकृत किया गया।

मुकदमा उपरोक्त में आज दिनांक 12.08.25 को मुखबिर की सूचना पर थाना जलालाबाद पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त रामगोविन्द पुत्र छविनाथ उर्फ सूबेदार उम्र करीब 38 वर्ष नि0 ग्राम रौली बौरी, थाना जलालाबाद, जनपद शाहजहाँपुर को बझेडा पुलिया के पास से समय करीब 01.10 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

रामगोविन्द पुत्र छविनाथ उर्फ सूबेदार उम्र करीब 38 वर्ष नि0 ग्राम रौलीबोरी, थाना जलालाबाद, जनपद शाहजहाँपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0 411/2025 धारा 191(2)/191(3)/109(1)बीएनएस व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम

बरामदगी का विवरण

01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

प्र0नि0 श्री राजीव कुमार
उ0नि0 श्री संजीव कुमार
उ0नि0 श्री पवन कुमार
का0 2219 अनिल नागर

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त ने अपने जुर्म का इकबाल करते हुए बताया कि मेरे परिवार की पुरानी रंजिश शिवसरन उर्फ बम्बईया पुत्र सोरन सिंह नि0 ग्राम रौलीबोरी, थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर से चली आ रही है, क्योंकि शिवसरन उर्फ बम्बईया के पिता सोरन सिंह की हत्या वर्ष 2017 में हुई थी जिसमें शिवसरन उर्फ बम्बईया ने मेरे भाईयों के खिलाफ थाना जलालाबाद में मुकदमा लिखवाया था। जिसमें मेरे भाईयों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। मैंने शिवसरन उर्फ बम्बईया से बदला लेने की ठानी। दिनांक 09.08.2025 की शाम के समय भंवरपाल के मकान के सामने गली में मुझे शिवसरन उर्फ बम्बईया घूमता हुआ मिला वहीं उससे मेरी बहस हो गयी थी तो मैंने अपनी गोट से तमंचा निकालकर शिवसरन उर्फ बम्बईया को पीछे से गोली मार दी थी। शोर शराबा सुनकर गांव के काफी लोग आ गये थे पकडे जाने के डर के कारण मैं मौके से खेतों की तरफ भाग गया था। जिस तमंचे से मैंने शिवसरन उर्फ बम्बईया को गोली मारी थी वह तमंचा मैंने गांव से बाहर की तरफ जाने वाले रास्ते पर पेड के नीचे झाडी में छुपा दिया था। जिसे मैंने आपको बरामद करा दिया है।